वाहन चालकों की आपूर्ति की नियम/शर्तें

1. ई–निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 100/– का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो निविदादाता फर्म के नाम से क्रय किया हो व रूपये 1/– का रेवेन्यू स्टाम्प ठेकेदार के मानक हस्ताक्षर सहित स्केन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम तीन निविदादाताओं द्वारा मूल प्रति निविदा खुलने पर प्राधिकरण में जमा करनी होगी।
2. ठेकेदार के बिना हस्ताक्षर युक्त निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
3. अकेली (एकल) सशर्त अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगीं एवं निरस्त मानी जायेंगी।
4. निविदादाता को ई–निविदा प्रपत्र के साथ गत दो वर्षों का नियमानुसार दो अनुभव प्रमाण–पत्र होने की दशा में निविदा लागत के समतुल्य धनराशि/संख्या बल एवं एक अनुभव पत्र होने की दशा में निविदा लागत धनराशि/संख्या बल का 75 प्रतिशत धनराशि का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं चालू वित्तीय वर्ष का वर्क इन हैण्ड का पत्र स्केन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को वैद्य अवधि का चरित्र प्रमाण–पत्र निविदा के साथ स्केन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा जारी निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण–पत्र, ई–निविदा के साथ स्केन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को लेटेस्ट इंकम टैक्स रिर्टन की प्रति स्केन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख कमेटी के सत्यापन की दशा में फर्जी पाये जाने पर धरोहर राशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
9. निविदादाता के द्वारा श्रमायुक्त, कार्यालय से उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की सत्य प्रमाणित प्रति स्केन करके ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता का ई.एस.आई.सी.पी.एफ. एवं जी0एस0टी0/यथा संशोधित टैक्स रजिस्ट्रेशन पत्र की सत्य प्रमाणित प्रति स्केन करके ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. ई–निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी नियम/शर्ते एवं विशिष्टियों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रपत्र टी–6 में विद्यमान नियम यथावत लागू होंगे।
12. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी निविदादाता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

प्रभारी वाहन पूल,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।